



268/1

दस्तावेज- 2286710

2286710

नया योजना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 1493 / 05 / 76 / एक / 2015-16

दिनांक : 16 अगस्त 2015

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-लखनऊ।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (दुडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एक्सिस बैंक	914010005805018	IFSC Code UTIB0000355	516.953

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम/द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	लखनऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न० नि० लखनऊ	अग्रय बिहार रुस्तम बिहार में हलीम मार्केट से रामकुमार भारती, विजय यादव, पम्पू के घर होते हुये कल्लू मास्टर के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	19.476
2	लखनऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न० नि० लखनऊ	गीतापल्ली वार्ड के अन्तर्गत गोपालपुरी (अम्बेडकर नगर) में कच्ची बस्ती में अर्जुन के घर से प्यारे लाल, कुन्दर के घर होते हुये कल्लू के घर तक गलियों में नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	24.089
3	लखनऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न० नि० लखनऊ	गीतापल्ली वार्ड के अन्तर्गत गोपालपुरी (अम्बेडकर नगर) में कच्ची बस्ती में सूरज के घर से चन्द्र प्रकाश के घर तक गलियों में नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	3.563
4	लखनऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न० नि० लखनऊ	गीतापल्ली वार्ड के अन्तर्गत गोपालपुरी (अम्बेडकर नगर) में कच्ची बस्ती में राजू के घर से प्रताप के घर तक गलियों में नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	3.563
5	लखनऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न० नि० लखनऊ	गीतापल्ली वार्ड के अन्तर्गत गोपालपुरी (अम्बेडकर नगर) में कच्ची बस्ती में अनिल के घर से रामू, पम्पू के घर तक नाली-नाले का कार्य।	21.477
6	लखनऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न० नि० लखनऊ	गीतापल्ली वार्ड के अन्तर्गत साकेतपुरी में आजाद नगर रोड से दीनू के घर होते हुये रहमान के घर तक गलियों में नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	6.557
7	लखनऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न० नि० लखनऊ	गीतापल्ली वार्ड के अन्तर्गत साकेतपुरी हस्तिनापुर तुलसी उद्यान से पी०के० श्रीवास्तव के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	6.326
8	लखनऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न० नि० लखनऊ	गीतापल्ली वार्ड के अन्तर्गत साकेतपुरी हस्तिनापुर प्रताप भदीरिया के घर से नानू के घर होते हुये प्रताप सिंह के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	11.188



268/3

दस्तावेज 22067119

7786710

नव योजना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र.सं.	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वाड़ का नाम	प्रथम/द्वितीय किस्ता की धनराशि का प्रेषण
				हुयं कुलदीप बाबूराम व रामगनोहर वर्मा के मकान तक नाली, इण्टरलाकिंग का कार्य।	
24	लखनऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किस्त	न0नि0 लखनऊ	वाड़ मल्लाही टोला द्वितीय में मोहल्ला झाकड़बाग, झाकड़गण्डी शाह का तकिया में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.740
25	लखनऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किस्त	न0नि0 लखनऊ	सुरभ नगर गांव, पुरानी बस्ती में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.274
26	लखनऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किस्त	न0नि0 लखनऊ	श्रीम टोला में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	13.790
27	लखनऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किस्त	न0नि0 लखनऊ	कल्याणपुर, शंकरपुरवा प्रथम में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.498
28	लखनऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किस्त	न0नि0 लखनऊ	गजरहा पुरवा में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.793
29	लखनऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किस्त	न0प0 अमेठी	वाड़ सं0 5 एवं 9 में अन्तारी वाड़ एवं शंख अब्बारी वाड़ में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	49.236
	योग				516.953

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यव शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये-

- उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत ली0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दश में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सदन स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सामेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जावेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनाओं या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाधयता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो सुनिश्चित किया जाये।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यव वित्तीय हस्तपुरिस्का के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित करते हुये किया जाये।
- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपरोक्त प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दस में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अंशों के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित बाज अवमुक्त की गई धनराशि पर दंड होगा।



288/4

दस्तावेज - 2288704


2288704

नगर विकास विभाग, 10 जवाहर नगर, जयपुर-302002

राज्य नगरीय विकास अधिकरण, उ.प्र.

- 9- नगर विकास विभाग द्वारा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/शर्तिका के प्रतिबन्धों के अनुसार निर्धारित मर में व्यय की जायेगी।
- 10- नगर विकास विभाग द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/शर्तिका के प्रतिबन्धों के अनुसार निर्धारित मर में व्यय की जायेगी।
- 11- नगर विकास विभाग द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/शर्तिका के प्रतिबन्धों के अनुसार निर्धारित मर में व्यय की जायेगी।
- 12- नगर विकास विभाग द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/शर्तिका के प्रतिबन्धों के अनुसार निर्धारित मर में व्यय की जायेगी।

भवदीय,


जयपुर, प्रशासनिक (सह)
नगर विकास विभाग


जयपुर, प्रशासनिक (सह)
नगर विकास विभाग

1. नगर विकास विभाग, जयपुर
2. नगर विकास विभाग, जयपुर
3. नगर विकास विभाग, जयपुर